मन्वय)/96

ार

ाय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर, 1996

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- *केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस की मंजूरी - समूह "ग" और "घ" कर्मचारियो के लिए वर्ष 1995-96 में अर्हक वेतन सीमा हटाना ।*

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 20.9.95 के का.ज्ञा. सं. 14(1)-संस्था (समन्वय)/95 और दिनांक 17.10.96 के का.ज्ञा. सं. 14(1) संस्था (समन्वय)/96 के संदर्भ में, जिसमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस की मंजूरी की सीमा 3500/- रुपए निर्धारित की गई थी, आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। राष्ट्रपति ने अब यह निर्णय लिया है कि लेखा वर्ष 1995-96 में बगैर किसी अर्हक वेतन सीमा के केन्द्रीय सरकार के सभी समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाए। तथापि, 2500/- रुपए की गणना सीमा पूर्ववत् रहेगी ।

2. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का संबंध है, उनके मामले में यह आदेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(श्याम सुन्दर)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची के अनुसार प्रेषित।

प्रतिलिपि:—

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, आदि को मानक सूची के अनुसार (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित ।